न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.)

दावा संख्या : 26/2017

दिनांक 17.04.2018

रामप्रसाद पुत्र स्व0 श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ग्राम ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

..............प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी
2. पटवारी पटवार हल्का ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन खाता अन्तर्गत धारा 136 रा.भू. अधिनियम

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी के पटवार हल्का ताखलसर मे अवस्थित खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 3.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.9500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 522 रकबा 1.8700 हैक्टयर खसरा नम्बर 530 रकबा 0.9000 हैक्टयर खसरा नम्बर 532 रकबा 2.300 हैक्टयर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.1000 खसरा नम्बर 542 रकबा 0.0500 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 543 रकबा 3.3600 हैक्टयर व खसरा नम्बर 569 रकबा 0.1000 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 570 रकबा 0.1200 हैक्टयर व खसरा नम्बर 571 रकबा 2.1600 हैक्टयर कुल किता 13 कुल रकबा 14.9900 हैक्टयर मे प्रार्थी का सम्पुर्ण हिस्सा है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त कृषि भुमि के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से रामकुमार के स्थान पर औकार दर्ज है जबकी प्रार्थी के समस्त लोक अभिलेखो में प्रार्थी के पिता का नाम प्रारम्भ से ही रामप्रसाद पुत्र रामकुमार चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम से जारी राशन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामकुमार अंकित है तथा प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र मे भी प्रार्थी के पिता का नाम रामप्रसाद पुत्र रामकुमार दर्ज है। व प्रार्थी के आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड व प्रार्थी के शिक्षा सम्बधित दस्तावेज मे व आधार कार्ड मे भी प्रार्थी का नाम रामप्रसाद पुत्र रामकुमार दर्ज है। प्रार्थी ने अपने खाते की कृषि भुमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अपने पिता का नाम औकार के स्थान पर रामकुमार करवाने हेतु राजस्व अधिकारीयों से कई बार निवेदन किया तहसीलदार रामगढ शेखावाटी को भी बार–बार निवेदन किया लेकिन खाता संशोधन बाबत कोई ध्यान नही दिया इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया ।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खे
खसरा नम्बर 202 रकबा 3.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसर
नम्बर 520 रकबा 0.9500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्ब
522 रकबा 1.8700 हैक्टयर खसरा नम्बर 530 रकबा 0.9000 हैक्टयर खसरा नम्बर 532
रकबा 2.300 हैक्टयर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.1000 खसरा नम्बर 542 रकबा 0.0500
हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 543 रकबा 3.3600 हैक्टयर व खसरा नम्बर 569 रकबा 0.1000
हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 570 रकबा 0.1200 हैक्टयर व खसरा नम्बर 571 रकबा 2.1600
हैक्टयर कुल किता 13 कुल रकबा 14.9900 हैक्टयर वाके ग्राम ताखलसर तहसील रामगढ
जिला सीकर मे अवस्थित है। जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे औकार
गलत रूप से अंकित हो गया इसलिए उक्त राजस्व कृर्षि भुमियो के राजस्व रिकॉर्ड मे
प्रार्थी के पिता का नाम औकार के स्थान पर रामकुमार अमल दरामद किये जाने की कृपा
करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार रामगढ ने रिपोर्ट मे कथन किया कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम रामकुमार ही है। रामकुमार व औकार एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया, जिससे प्रार्थी के पिता का नाम रामकुमार के स्थान पर औकार दर्ज हो गया। अतः प्रार्थी के पिता का नाम औकार के स्थान पर रामकुमार किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा पहचान पत्र, पैन कार्ड, मा. शिक्षा बोर्ड अजमेर की मार्कशीट, आधार कार्ड तथा सरपंच ग्राम पंचायत ताखलसर के प्रमाण पत्र एवं तहसीदार रामगढ शेखावाटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है कि विवादित खसरा नम्बर 202 रकबा 3.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.9500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 522 रकबा 1.8700 हैक्टयर खसरा नम्बर 530 रकबा 0.9000 हैक्टयर खसरा नम्बर 532 रकबा 2.300 हैक्टयर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.1000 खसरा नम्बर 542 रकबा 0.0500 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 543 रकबा 3.3600 हैक्टयर व खसरा नम्बर 569 रकबा 0.1000 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 570 रकबा 0.1200 हैक्टयर व खसरा नम्बर 571 रकबा 2.1600 हैक्टयर कुल किता 13 कुल रकबा 14.9900 हैक्टयर वाके ग्राम ताखलसर तहसील रामगढ जिला सीकर मे प्रार्थी के पिता के नाम मे संशोधन किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

विभाग द्वारा ...

औकार के स्थान पर रामकुमार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर